



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072026-274887
CG-DL-E-28072026-274887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2026/श्रावण 2, 1948

No. 597]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2026/SHRAVAN 2, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 659(अ).— विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि 104 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले सभी संभाव्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 4 फरवरी, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 21 में, -

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट द्रवीभूत, परेषक या परेषिती जिनके पास प्ररूप त-4 में विधिमान्य अनुज्ञप्ति है, द्वारा पहुंचाया जाएगा।

(1क) यदि कोई परिवहन यान अमोनियम नाइट्रेट के परिवहन के लिए परेषक या परेषिती द्वारा उपयोग किया जाता है, तो यह यथास्थिति परेषक या परेषिती के परिवहन अनुज्ञप्ति के सामर्थ्य पर पहुंचाया जाएगा।”;

(ख) उपनियम (6) में “परेषक” शब्द के स्थान पर “यथास्थिति, परेषक या परेषिती” शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में नियम 38 के, खंड (ड.) में “कार्यालय-वाहक” शब्द के पश्चात् “या अधिभोगी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. P-13012/2/2021-विस्फोटक]

डॉ. काजल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक 553 (अ) तारीख 11 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :-

1. सा.का.नि. 469 (अ), तारीख 9 जुलाई, 2013;
2. सा.का.नि. 938 (अ), तारीख 28 सितंबर, 2018;
3. सा.का.नि. 608(अ), तारीख 1 सितंबर, 2021;
4. सा.का.नि. 239 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2025; और
5. सा.का.नि. 377 (अ), तारीख 9 जून, 2025;

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July 2026

G.S.R. 659(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, were published, as required under sub-section (1) of section 18 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), *vide* number G.S.R 104(E), dated the 3rd February, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 4th February, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ammonium Nitrate Rules, 2012, namely: -

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Ammonium Nitrate (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ammonium Nitrate Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21, –
(a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely: –
“(1) The Ammonium Nitrate or Ammonium Nitrate melt shall be transported by the consignor or consignee holding a valid licence in Form P-4.
(1A) If a transport vehicle is used by the consignor or the consignee for transport of Ammonium Nitrate, it shall be transported on the strength of the transport licence of the consignor or the consignee, as the case may be.”;
(b) in sub-rule (6), for the words “The consignor”, the words “The consignor or the consignee, as the case may be,” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 38, in clause (e), after the word “office-bearers”, the words “or occupier” shall be inserted.

[F. No. P-13012/2/2021-EXPLOSIVE]

DR. KAJAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 553(E), dated the 11th July, 2012 and were subsequently amended as follows: –

1. G.S.R. 469(E), dated the 9th July, 2013;
2. G.S.R. 938(E), dated the 28th September, 2018;
3. G.S.R. 608(E), dated the 1st September, 2021;
4. G.S.R. 239(E), dated the 17th April, 2025; and
5. G.S.R. 377(E), dated the 9th June, 2025;